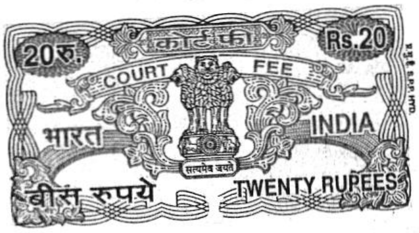

68

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. /2016 विविध (संसोधन विविध--9299-I-16

1. देशराज राजपूत पुत्र रामभरोसे राजपूत
2. मदन राजपूत पुत्र रामभरोसे राजपूत निवासीगण– बिलहरी तहसील नौगांव जिला छतरपुर ....**निगरानीकर्ता**

बनाम

मुस. रजकू पुत्री स्व. नत्थी काछी पत्नी हलकाई काछी निवासी बिलहरी तह.नौगांव जिला छतरपुर हालनिवासी– ग्राम पुरवा तह. व जिला छतरपुर ....**अनावेदकगण**

दिनांक 26-12-16 को श्री एम.पी. भटनागर अभि० द्वारा प्रस्तुत। 26-12-16

<u>आवेदन पत्र. वास्ते संसोधन अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी.</u>

878 / 26.12.16 **श्रीमानजी,**

यहकि सेवा में आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण 1580/I/2016 के आदेश दिनांक 21.12.2016 के आदेश के पैरा नम्बर 2 की पहली लाईन में भूमि सर्वे क्र. 284, 298, 587, कुलकिता 3 कुल रकवा 0.689 गलत अंकित हो गया है जिसको सुधारकर भूमि सर्वे क्रमांक 248, 298, 507 कुलकिता 3 कुल रकवा 0.551 होना अतिआवश्यक है।
2. यहकि, आदेश के पेरा नम्बर 2 की सातवीं लाईन में तहसीलदार नौगांव ने प्रकरण क्रमांक 183 अ–6 / 1996–97 पंजीबद्ध किया गलत अंकित हो गया है जिसको सुधारकर तहसीलदार नौगाव के प्रकरण क्रमांक 182 / अ–6 / 1996–97 पंजीबद्ध किया होना अतिआवश्यक है।
3. यहकि, उक्त भूलबश की गई टंकड़ त्रुटियों के कारण वाद ग्रस्त भूमियों का स्वरूप बदल गया जिससे निगरानीकर्ता को हानि होने की संभावना है इस कारण संसोधन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिंनाक 21.12.2016 में संसोधन किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का संसोधन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 21.12.2016 की त्रुटियों में संसोधन किये जाने की कृपा की जावें।

M.P. Bhatnagar Adv.

दिनांक– 26.12.2016 प्रार्थीगण

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 9299–एक/2016 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
04–01–17	प्रस्तुत प्रस्तुत । अवलोकन किया गया। राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 1580–एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 21–12–2016 में ग्राम विलहरी की भूमि सर्वे कमांक 284, 298, 587 गलत टंकित होने के सम्बन्ध में आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने । 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव आदेश दिनांक 21–12–2016 में अंकित सर्वे नंबरों का तहसीलदार नौगॉव के प्रकरण कमांक 102 अ–6/1996–97 में पारित आदेश दिनॉक 22–01–1998 में अंकित सर्वे नंबरों से मिलान करने पर पाया गया कि आदेश दिनांक 21–12–2016 में तहसीलदार के आदेश में अंकित सर्वे नंबरों को ही विचार में लिया जाकर आदेश पारित हुआ है, जिसमें सर्वे नंबर 507 भ्रमणपूर्ण टंकित होने से आदेश दिनांक 21–12–16 में सर्वे कमांक 587 टंकित हुआ है अतः इस सर्वे नंबर को 587 के बजाय 507 पढ़ा जाय। शेष सर्वे नंबर तहसीलदार के आदेश में अंकित सर्वे नंबरों पर समान है। यदि आवेदकगण तहसीलदार के आदेश दिनांक 22–1–98 में हुई टंकण त्रृटि में अन्य सर्वे नंबरों में सुधार चाहते हैं तब वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन देकर सॅशोधन कराने हेतु स्वतंत्र है। विविध आवेदन सर्वे नंबर 587 के बजाय 507 के सुधार तक ॲशतः स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी–स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य